

लोक शिक्षण मंत्रालय


मध्य प्रदेश

कक्षा/स्था.2/सी/स्था.41/2010/950

भोपाल दिनांक 15/6/10

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निर्वाचित व्याख्याता का स्थानान्तरण आदेश नामधर एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 8 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।  
2/ यह आदेश स्थापना स्वेच्छा से स्वयं से श्रेय ग्रहण होने से इन्हें किसी प्रकार के भत्ता भत्ते आदि की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.सी. क्रमांक	अवसर्ग संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का आईस कोड	संस्था / जिले का नाम	संस्था / जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पी.एस.धुर्व (वाणिज्य)	-	शास.स.भाष.चंद बोस ए.भा.वि.सिवनी जिला सिवनी	23440177703	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. या. पाटन जिला जबलपुर	23390577702
2.	श्री अशोक कुमार पाटील (हिन्दी)	AH 3444	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. मुलता जिला बैतुल	23350877701	शास.क.उ.मा.वि. बैतुल बाँजार जिला बैतुल	23350377705
3.	श्री अशोक साठगाँव (हिन्दी)	AA 8597	शास.उ.मा.वि. बाया जिला सीहोर	23330277709	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. नरसिंहगंज जिला सीहोर	23330477701
4.	श्रीमती निर्मला मानावटी (रसायन)	BH 430E	शास.उ.मा.वि. डबल चौकी देवास जिला देवास	23230177708	शास.उ.मा.वि. अहिल्या आश्रम इन्दौर	23280177717
5.	श्रीमती सुलभा काले (अंग्रेजी)	AM 7372	शास.उ.मा.वि.महु जिला इन्दौर	23260277704	शास.क.उ.मा.वि. राजेन्द्र नगर इन्दौर	23260177708
6.	श्री श्रीमप्रकाश पारिख (हिन्दी)	-	शास.उ.मा.वि. उदमखेड़ी (सारंगपुर) जिला राजगढ़	23300477706	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. नरसिंहगंज जिला राजगढ़	23300377701
7.	श्री जितेन्द्र सिंह आजाद (जीवविज्ञान)	AK 7605	शास.उ.मा.वि.असवार जिला भिण्ड	23030577703	शास.क.उ.मा.वि. जयेन्द्रगंज जिला ग्वालियर	-
8.	श्री प्रतापसिंह गुर्जर (अंग्रेजी)	AT 8528	शास.उ.मा.वि. दीयानगंज जिला रायसेन	23340577703	शास.नवीन उ.मा.वि. चौदबड जिला भोपाल	23320377729
9.	श्री मुकेश शर्मा (शैक्षिक शास्त्र)	BO 9669	शास.नूतन सुभाष उ.मा.वि. टी.टी.नगर भोपाल	23320377708	शास.नवीन क.उ.मा. वि.तुलसी नगर भोपाल	23320377718

  
लोक शिक्षण म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 15/6/10

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/स्था.41/2010/950  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला सिवनी/जबलपुर/बैतुल/सीहोर/देवास/इन्दौर/राजगढ़/भिण्ड/ग्वालियर/रायसेन भोपाल ।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतया जिला सिवनी/जबलपुर/बैतूल/सीहोर/देवास/इन्दौर/राजगढ़/भिण्ड/ग्वालियर/रायसेन/भोपाल ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय जबलपुर/भोपाल/उज्जैन/इन्दौर/ग्वालियर/रायसेन/भोपाल ।
6. जिला क्रोवालय अधिकारी जिला सिवनी/जबलपुर/बैतूल/सीहोर/देवास/इन्दौर/राजगढ़/भिण्ड/ग्वालियर/रायसेन/भोपाल ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी/जबलपुर/बैतूल/सीहोर/देवास/इन्दौर/राजगढ़/भिण्ड/रायसेन/भोपाल । म.प्र. की ओर अर्पित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि संबंधित कार्यालय कार्यमुक्त करने से पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि करे कि स्थानान्तरित व्याख्याता का पद रिक्त है एवं स्थान शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में रिक्त पद रिक्त है पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यवाही करने में जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विचरित जानकारी प्राप्त हो तो आदेश का पालन न करते हुये चस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश को किया संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जावे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनाएं ।

संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण म.प्र.